सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Original

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2015/40** दायर दिनांक **30.03.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह उम्र 17 वर्ष 2. दीपेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह उम्र 15 वर्ष जरिये सरक्षंक कमोद कंवर माता जाति राजपूत निवासी आगुन्ता हाल निवासी भिराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0	बनाम्	1. गिरधारीसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 2. श्रवणसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 3. आसूसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 4. तेजसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 5. मानसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 6. मनोहरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 7. जबरसिंह पुत्र बेरीसालसिंह 8. इसरसिंह पुत्र उगमसिंह 9. भंवरसिंह पुत्र गंगासिंह 10. देवीसिंह पुत्र गंगासिंह 11. रेवन्तसिंह पुत्र गंगासिंह 12. नारायणसिंह पुत्र गंगासिंह 13. सोनकंवर बेवा गंगासिंह 14. इसरसिंह पुत्र कानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण आगुन्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 15. प्रबन्धक भूमि विकास बैंक नागौर 16. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवम स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **15.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, कृषि भूमि खसरा सं0 121 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा व खसरा सं0 417 रकबा 105 बीघा 07 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम, कृषि भूमि खसरा सं0 156 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 421 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 711/421 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 138 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 139 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 416 रकबा 90 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/40
दायर दिनांक 30.03.2015 निर्णय दिनांक 15.06.2017
नरेन्द्रसिंह बनाम गिरधारीसिंह, वगैरा।

528/186 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 706/418 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि ग्राम आगुन्ता में स्थित है। जिसके खातेदारी काश्तकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्तकार चले आ रहे है।

खसरा सं0 121 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 417 रकबा 105 बीघा 07 बिस्वा में वादीगण व वादी के पिता प्रतिवादी सं0 01 गिरधारीसिंह व प्रतिवादी सं0 02 ता 17 का 1/2 भाग अवस्थित है। खसरा सं0 156 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 09 ता 13 का 1/4 भाग वादीगण व वादी के पिता गिरधारीसिंह व प्रतिवादी सं0 01 ता 08 का 3/4 भाग अवस्थित है। खसरा सं0 421 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 711/421 रकबा 08 बिस्वा में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं0 01 गिरधारसिंह का हिस्सा 3/4 स्थित है तथा प्रतिवादी सं0 08 ता 14 का हिस्सा 1/4 भाग अवस्थित है। खसरा सं0 138 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 139 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा में वादीगण के पिता गिरधारसिंह प्रतिवादी सं0 01 ता 7 व 14 का सम्पूर्ण हिस्सा है। इसी प्रकार खसरा सं0 416 रकबा 90 बीघा व खसरा सं0 528/186 रकबा 01 बीघा व खसरा सं0 706/416 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण व वादी के पिता गिरधारीसिंह प्रतिवादी सं0 01 ता 07 का हिस्सा 1/7, 1/7 अवस्थित है इस प्रकार वादीगण का भाग अपने पिता के भाग में 1/3, 1/3, 1/3 भाग अवस्थित है।

वादीगण के पिता गिरधारसिंह, प्रतिवादी सं0 01 ने वादीगण की माता के साथ शादी के बाद मारपीट कर अरसा करीब 5, 6 वर्ष पूर्व घर से निकाल दिया। जिसका फौजदारी प्रकरण लम्बित है। प्रतिवादी सं0 01 अत्यन्त होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति है। प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार से वादीगण की माता का जीवन निर्वाह नहीं कर रहा है। वादीगण का उनकी माता ने ही पालन पोषण किया है। प्रतिवादी सं0 01 उनकी माता को वाद पत्र में वर्णित कृर्षि भूमि से वंचित करने की नियत से अन्य लोगो का विक्रय करने को आमदा है। इस कारण से प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना वादीगण है कि उपरोक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं0 01 गिरधारीसिंह के साथ वादीगण सं0 01 व 02 के नाम की घोषणा की जावें तथा प्रतिवादी सं0 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वे वादीगण के हिस्से में दखलअंदाजी हस्तक्षेप आदि नहीं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015/40
दायर दिनांक 30.03.2015 निर्णय दिनांक 15.06.2017
नरेन्द्रसिंह बनाम गिरधारीसिंह, वगैरा।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लोरोली कंला में पेश हुई। वादीगण की माता कमोद कंवर उपस्थित। वादीगण प्रतिवादी सं0 01 के हिस्से में अपना नाम जुडवाना चाहता है। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वादीगण अपने पिता की सम्पति में हिस्सा लेना चाहते है जो कानूनन उनका अधिकार है। अतः वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद आगुन्ता के खसरा सं0 121 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 417 रकबा 105 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 156 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 421 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 711/421 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 138 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 139 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 416 रकबा 90 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 528/186 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 706/416 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 01 गिरधारीसिंह के हिस्से में से 1/3, 1/3 हिस्सा वादीगण नरेन्द्रसिंह, दीपेन्द्रसिंह पि0 गिरधारीसिंह के घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। प्रतिवादी सं0 01 वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल अंदाजी न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **15.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लोरोली कंला में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/40 दायर दिनांक 30.03.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. नरेन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह वगैराह जरिये सरक्षंक कमोद कंवर माता जाति राजपुत निवासी आगुन्ता हाल निवासी भिराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर राज0	बनाम्	1. गिरधारीसिंह पुत्र बेरीसालसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासीगण आगुन्ता तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवम स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 15.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादीगण कमोद कंवर की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद आगुन्ता के खसरा सं0 121 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं0 417 रकबा 105 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं0 156 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा सं0 421 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 711/421 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं0 138 रकबा 26 बीघा 01 बिस्वा, खसरा सं0 139 रकबा 27 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं0 416 रकबा 90 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं0 528/186 रकबा 01 बीघा, खसरा सं0 706/416 रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 01 गिरधारीसिंह के हिस्से में से 1/3, 1/3 हिस्सा वादीगण नरेन्द्रसिंह, दीपेन्द्रसिंह पि0 गिरधारीसिंह के घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रखा जाता है। प्रतिवादी सं0 01 वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल अंदाजी न तो स्वयं करें तथा न किसी अन्य से करावें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

इसी अनुरुप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट लोरोली कंला में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner